प्रेस नोट

दिनांक 30.08.2024, थाना को0मनकापुर

जनपद गोण्डा।

थाना को0मनकापुर पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही:-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना मनकापुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-366/24, धारा 137(2)/87/351(2) बीएनएस से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त सन्दीप पुत्र विश्राम निवासी ग्राम गायत्रीपुरम मोहवरिया थाना को0नगर, जनपद गोण्डा को मानव तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 22.07.2024 को थाना को0मनकापुर क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा थाना को0मनकापुर में लिखित तहरीर दी गयी कि विपक्षी द्वारा उनकी बहन को बहला-फुसला कर भगा ले गया है। वादी की तहरीर पर थाना को0मनकापुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था । विवचेना के दौरान दोषी पाए गए नामजद आरोपी अभियुक्त सन्दीप पुत्र विश्राम निवासी ग्राम गायत्रीपुरम मोहवरिया थाना को0नगर, जनपद गोण्डा को थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा आज दिनांक 30.08.2024 को मानव तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0मनकापुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. सन्दीप पुत्र विश्राम निवासी ग्राम गायत्रीपुरम मोहवरिया थाना को0नगर, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-366/24, धारा 137(2), 87, 351(2) बीएनएस थाना को0मनकापुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 अरविन्द कुमार
02. हे0का0 अमर सिंह
03. हे0का0 धर्मेन्द्र मिश्रा

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 30.08.2024, थाना को0नगर
जनपद गोण्डा।

अवैध रूप से एथेनॉल का संचय करने वाला अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, 50-50 ली0 42 पिपिया व 25 लीटर की 01 पिपिया में भरी हुई नीली रंग की एथेनॉल बरामद-

कार्यवाही:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री सौरभ वर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना को0नगर पुलिस व जिला आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा 50-50 ली0 42 पिपिया व 25 लीटर की 01 पिपिया में भरी हुई नीली रंग की एथेनॉल के साथ आरोपी अभियुक्त सुभाष सिंह पुत्र राम बुझारत सिंह निवासी बाबूढ़ाढा थाना हरैया जनपद बस्ती को ग्राम विमौर से गिरफ्तार कर लिया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 637/24 धारा 60, 62 आबकारी अधिनियम व धारा 286, 303(2), 317(2), 318(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 30.08.2024 को थाना को0नगर व जिला आबकारी की सयुक्त टीम को मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम विमौर के पास **अवैध रूप से एथेनॉल का संचय किया गया है।** प्राप्त सूचना के आधार पर थाना कोतवाली नगर व जिला आबकारी टीम की संयुक्त टीम द्वारा बताये गए स्थान पर घेराबन्दी कर अभियुक्त सुभाष सिंह पुत्र राम बुझारत सिंह निवासी बाबूढ़ाढा थाना हरैया जनपद बस्ती को ग्राम विमौर से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से द्वारा 50-50 ली0 42 पिपिया व 25 लीटर की 01 पिपिया में भरी हुई नीली रंग की एथेनॉल बरामद किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0नगर पुलिस द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. सुभाष सिंह पुत्र राम बुझारत सिंह निवासी बाबूढ़ाढा थाना हरैया जनपद बस्ती।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 637/24 धारा 60, 62 आबकारी अधिनियम व धारा 286, 303(2), 317(2), 318(4) बीएनएस थाना को0नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 50-50 ली0 42 पिपिया में भरी हुई नीली रंग की एथेनॉल ।
02. 25 लीटर की 01 पिपिया में भरी हुई नीली रंग की एथेनॉल ।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. आबकारी निरीक्षक वन्दना केसरवानी क्षेत्र प्रथम मय टीम
02. प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार पाठक कोतवाली नगर मय टीम।

<u>अभियुक्त सुभाष सिंह पुत्र राम बुझारत सिंह का आपराधिक इतिहास</u>

01. मु0अ0सं0 35/21 धारा 60(A),62,63 आबकारी अधिनियम, 272/273 भादवि0 व 181,192,194,196,3,39 मोटर अधिनियम थाना परसरामपुर, बस्ती।
02. मु0अ0सं0 206/21 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण अधिनियम) 1986 थाना परसरामपुर, बस्ती।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 30.08.2024, थाना को0कर्नलगंज
जनपद गोण्डा।

थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के 03 आरोपी अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार, आलाकत्ल बरामद

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री उमेश्वर सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना को0 कर्नलगंज पुलिस थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0-395/2024 धारा 109, 115(2), 352, 351(3) बीएनएस से सम्बन्धित 03 वांछित अभियुक्तो 01. जौहर अली उर्फ घुरहू, 02. श्रीमती फूलन 03. रमजीना उर्फ सोखा को उनके घर से गिरफ्तार कर उनके निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद चाकू बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादिनी द्वारा थाना को0कर्नलगंज पर सूचना दी गई कि दिनांक 28.08.2024 को विपक्षी के घर से बच्चो को लेकर झगड़ा हुआ था उसी रंजीश को लेकर दिनांक 29.08.2024 को घर पर आये और लाठी डन्डा व चाकू लेकर आये व प्रार्थीनी की जेठानी को जान से मारने की नियत से पेट में चाकू मार कर धमकी देते हुए चले गये। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना को0कर्नलगंज में मु0अ0स0- 395/2024 धारा 109, 115(2), 352, 351(3) बीएनएस बनाम जौहर अली आदि 03 नफर अभियुक्तों के विरूद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 30.08.2024 को नामजद अभियुक्तगण 01. जौहर अली उर्फ घुरहू, 02. श्रीमती फूलन 03. रमजीना उर्फ सोखा को उनके घर से गिरफ्तार कर उनके निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद चाकू बरामद कर किया गया गिरफ्तार अभियुक्तो के विरूद्ध थाना को0 कर्लनगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. जौहर अली उर्फ घुरहू पुत्र साकिल अली निवासी ग्राम नयेपुरवा खरथरी थाना को0कर्नलगंज जनपद गोण्डा।
02. फूलन पत्नी जौहर अली उर्फ घुरहू निवासी ग्राम नयेपुरवा खरथरी थाना को0कर्नलगंज जनपद गोण्डा।
03. रमजीना उर्फ सोखा पुत्री जौहर अली उर्फ घुरहू निवासी ग्राम नयेपुरवा खरथरी थाना को0कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0- 395/2024 धारा 109, 115(2), 352, 351(3) बीएनएस थाना कर्नलगंज, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 बब्बन सिंह
02. हे0का0 अनिल कुमार यादव
03. का0 सुजीत राजभर
04. म0आ0 रूपा देवी
05. म0आ0 रोहिणी सोनवानी

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 30.08.2024

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा पुलिस भर्ती परीक्षा के दृष्टिगत लगातार भ्रमण शील रहते हुए परीक्षा केन्द्रो का निरीक्षण कर प्रथम एंव द्वितीय पाली की परीक्षा को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से कराया गया सम्पन्नः-

गोण्डा। आज दिनांक 30.08.2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा आयोजित आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती परीक्षा-2023 की प्रथम एवं द्वितीय पाली की लिखित परीक्षा को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु लगातार भ्रमणशील रहकर परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान परीक्षा कक्ष, सी0सी0टी0वी0 व सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया गया। परीक्षा केन्द्रों पर लगे सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेटिक मजिस्ट्रेट, परीक्षा केन्द्र व्यवस्थापक व पुलिस के अधिकारी कर्मचारीगणों से वार्ता कर पुलिस भर्ती की प्रथम एवं द्वितीय पाली की परीक्षा को सुचितापूर्ण, निर्विवाद एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सकुशल सम्पन्न कराया गया। पुलिस भर्ती परीक्षा जनपद में 23 से 31 अगस्त तक जनपद के 13 परीक्षा केन्द्रों में हो रही है। परीक्षा के दृष्टिगत कार्यकारी संस्था द्वारा प्रश्नपत्र, उत्तर पुस्तिका व गोपनीय सामग्री सेक्टर मजिस्ट्रेटों को सुपुर्द किया गया। सेक्टर मजिस्ट्रेटों द्वारा प्रश्नपत्र, उत्तर पुस्तिका व गोपनीय सामग्री को सम्बन्धित स्कूलों तक पहुँचाया गया तथा उसकी रिसीविंग कार्यकारी संस्था को दी गयी। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करायी गयी। ड्यूटी पर कार्यरत सभी अधि0/कर्मचारीगणों द्वारा सतर्क दृष्टि रखते हुए ड्यूटी का निर्वहन किया गया तथा कंट्रोल रूम द्वारा लगातार सीसीटीवी कैमरों की मदद से हर तरह की गतिविधियों पर नजर रखी गयी। प्रभारी यातायात द्वारा पुलिस बल के साथ भ्रमणशील रहकर यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाये रखा गया। पुलिस सोशल मीडिया सेल द्वारा भी लगातार सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म, ट्विटर, फेसबुक व व्हाट्सएप सहित अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफार्मो पर निरंतर निगरानी की जा रही है।

मीडिया सेल, गोण्डा।